CR/1961/17

न्यायालय –श्रीमती निशा विश्वकर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी (म0प्र0)

दांण्डिक प्र.क्र. 3082/10
संस्थित दिनांक 04.09.10

मध्यप्रदेश शासन
वन परिक्षेत्र रीठी जिला कटनी .....अभियोजन

–:: विरूद्ध ::–

सुदामा उर्फ छलिया माझी (वर्मन) पिता बाबूलाल मांझी उम्र 35 वर्ष,
निवासी रैपुरा चौकी बिलहरी थाना कुठला जिला कटनी म.प्र. .....आरोपी

निर्णय

(आज दिनांक 22/12/2017 को घोषित)

01. प्रकरण में अभियुक्त सुदामा उर्फ छलिया मांझी (वर्मन) के विरूद्ध भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 और 39 का उल्लंघन करके धारा 51 का इस आशय का दण्डनीय आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक 07.07.10 को आरक्षित वन क्षेत्र रीठी के कक्ष क. 113 में 6 नग गोह को जो अनुसूची 1 का प्राणी है, पकडकर और बोरी मे भरकर अवैध रूप से शिकार किया।

02. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है, कि घटना दिनांक 07.07.10 को आरोपी सुदामा उर्फ छलिया ने रीठी थाना परिक्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क. 113 व उसके सामने शुकल की पट्टी बंगार क्षेत्र से वन्य प्राणी 6 नग गोह पकडकर बोरी में भरकर रखा। गोह (मॉनीटर लिजार्ड) जो अनुसूची–1 का दुलर्भ वन्य प्राणी है। आरोपी सुदामा ने अवैध शिकार करने का कृत्य किया, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39,51,52 के अपराध के संबंध मे संपूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पश्चात साक्ष्य उपरांत अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किये जाने पर विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त का धारा 313 द.प्र.स. अंतर्गत परीक्षण किए जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया। निम्न प्रश्न विचारणीय है।

04. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

क्या आरोपी द्वारा दिनांक 07.07.10 को आरक्षित वन क्षेत्र रीठी के कक्ष क. 113 में 6 नग गोह को जो अनुसूची 1 का प्राणी है, पकडकर और बोरी मे भरकर अवैध रूप से शिकार किया ?

निष्कर्ष के आधार :–

05. अपराध विधि की मान्यता है कि अभियुक्त निर्दोष है जब तक कि उसके विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप सिद्ध नहीं कर दिया जाए, तद्नुसार आरोप सिद्ध

22.12.2017

श्रीमती निशा विश्वकर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

करने का भार अभियोजन पर होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र रीठी अभियोजन साक्षी श्री बी.के. सिरसाम (अ.सा. 03), वन रक्षक गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02), डिप्टी रेंजर एल. पी. पटेल (अ.सा. 01) एवं स्वतंत्र साक्षी भरत (अ.सा. 04), सालिगराम (अ.सा. 05) के परीक्षण प्रतिपरीक्षण कराकर साक्ष्य समाप्त की है।

06. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, कि उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष धारा 325 दं.प्र.सं. के अंतर्गत द्वितीय वर्ग मजिस्टेट श्रीमान कपिल नारायण भारद्वाज जी की न्यायालय से आया। पूर्ववर्ती मजिस्टेट द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य अभिलिखित की गई है। उत्तरवर्ती मजिस्टेट इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत पूर्ववर्ती मजिस्टेट द्वारा लिपिबद्ध की गई साक्ष्य को आधार बनाकर निष्कर्ष नही लिया जा सकता है। धारा 461 के अंतर्गत समस्त कार्यवाही आकृत एवं शून्य हो जाती है। धारा 465 के अंतर्गत उसे विधि सम्मत नहीं किया जा सकता है। अकृत होने से विधिक स्वरूप के रूप में कार्यवाही ग्राह्य नही की जा सकती। बचाव पक्ष द्वारा **न्याय दृष्टांत नितिन भाई सेवती लाल शाह विरूद्ध मनु भाई, मंजी भाई, पांचाल 2012 (112) ए आई सी 239 सुप्रीम कोर्ट ए आई आर 2011 सुप्रीम कोर्ट 3076 प्रस्तुत किया गया है।**

07. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण का अवलोकन किया गया। परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र–रीठी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 के अतर्गत 6 नग गोह अनुसूची 01 का प्राणी के अवैध शिकार किए जाने के संबंध में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण धारा 325 दं.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय श्रीमान् कपिल नारायण भारद्वाज न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय से अंतिम तर्क के प्रक्रम पर प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा अंतिम तर्क श्रवण किए जाकर निष्कर्ष दिए जा रहे हैं।

08. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त माननीय दृष्टांत के तथ्य यह हैं कि समरी केस नंबर 2785/1998 धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का मामला विद्वान मैट्रो पॉलिटेन मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात ट्रांसफर के पश्चात विद्वान मैट्रो पॉलिटेन मजिस्ट्रेट के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 326 के अंतर्गत आने पर पश्चातवर्ती मैट्रो पॉलिटेन मजिस्ट्रेट के द्वारा आगे कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया, किंतु हस्तगत प्रकरण धारा 325 (1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय से अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया है। धारा 326 (3) दं.प्र.सं. प्रावधानित करती है कि धारा 326 दं.प्र.सं. की कोई बात संक्षिप्त विचारणों को या उन मामलों को लागू नही होती है, जिनमें कार्यवाहियां धारा 322 के अधीन रोक दी गई है या जिसमे कार्यवाहियां वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को धारा 325 के अधीन भेज दी गई है। अतः माननीय न्याया दृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने से अभियुक्त को लाभ प्रदान नही किया जा रहा है।

09. प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखना होगा कि कथित घटना दिनांक 07.07.10 को आरक्षित वन क्षेत्र रीठी के कक्ष क्र. 113 में 6 नग गोह प्राणी की जप्ती हुई ? इस बिंदू पर बी. आर. सिरसाम उपवनमंडलाधिकारी (अ.सा. 03) का कथन है कि 2010 मे वन परिक्षेत्राधिकारी रीठी के पद पर पदस्थ थे। उन्हें बीटगार्ड गजेन्द्र सिंह ने फोन

22.12.2017

श्रीमती निशा दिश्वकर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

करके सूचित किया था कि पी डब्ल्यू डी रोड के किनारे अधमरी एवं जिंदा कुल मिलाकर 06 वन्य प्राणी गोह मिली। रेंज असिस्टेंट को उन्होंने तत्काल मोके पर भेजा। वनरक्षक द्वारा वन्य प्राणी, मोटरसाइकिल आदि की जप्ती बनाकर वन अपराध दर्ज किया था।

10. प्रमुख साक्षी गजेन्द्र (अ.सा. 02) जो कि घटना के समय वन परिक्षेत्र रीठी के देवगांव बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ होना बताया, के अनुसार जंगल गस्ती से लौट रहा था इतने में उसने देखा कि पी डब्ल्यू डी रोड से लगे जंगल के किनारे पेड के नीचे मोटरसाइकिल में एक बोरी सीमेंट की थी। बोरी में 03 नग अधमरी जीवित वन्य प्राणी गोह एवं 03 नग मृत वन्य प्राणी गोह। 03 जिंदा अधमरी गोह तथा 03 मृत गोह को जप्तीनामा प्र.पी. 11 में जप्त किया था। जप्ती के उपरांत मौका पंचनामा प्र. पी. 12 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डिप्टी रेंजर को मोबाइल से सूचना देने पर वे मौके पर पहुच गए थे। प्र.पी. 13 का पी. ओ. आर. दर्ज किया था। जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. इस साक्षी ने अपने कथन मे यह भी बताया कि वन्य प्राणी का परीक्षण पहले पशु चिकित्सालय कटनी में कराया था, फिर वहां से जबलपुर के लिए लिखा गया तो जबलपुर ले जाया गया। जीवित वन्य प्राणी गोह को वन्यप्राणी फॉरेंसिक स्वास्थ्य केन्द्र विश्वविद्यालय जबलपुर में परीक्षण के दौरान दुमना रेस्क्यू सेंटर में न्यायालय की अनुमति उपरांत छोडा गया था, जिसका पंचनामा उसके द्वारा प्र.पी. 14 बनाया गया था। मृत वन्य प्राणी गोह को पशु चिकित्सा विज्ञान विश्विद्यालय जबलपुर में शव परीक्षण उपरांत डुमना नेचर पार्क जबलपुर मे ही जलाया गया था, जिसका पंचनामा प्र.पी. 15 परिक्षेत्र सहायक बिलहरी के द्वारा बनाया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वन्य प्राणी गोह को छोडे जाते समय दिनांक 08.07.10 की फोटोग्राफ एवं जलाने की तथा उसके पश्चात की फोटोग्राफ खींची थी, जिन्हें बुलाकर प्रकरण मे संलग्न किया था।

12. इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य के पद क्रमांक 9 में स्वीकार किया कि प्र.पी. 11 में उसके द्वारा गोह के सामने और पीछे वन्य प्राणी नहीं लिखा गया था। प्र.पी. 12 में भी उसके द्वारा गोह के आगे एवं पीछे "वन्य प्राणी" शब्द नहीं लिखा गया है। जप्तीनामा प्र. पी. 11, मौका पंचनामा प्र.पी. 12, छोडने का पंचनामा प्र.पी. 14 एवं जलाने का पंचनामा प्र.पी. 15 में कहीं भी उसके द्वारा अपनी या कार्यालय की सील नहीं लगाई गई है।

13. साक्षी गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02) जो कि घटना का महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा साक्ष्य के पद क. 01 मे बताया गया कि उसने डिप्टी रेंजर एल. पी. पटेल को मोबाइल से सूचना दी थी जिस पर मौके पर वे पहुंच गए थे। उसके द्वारा प्र.पी. 13 का वन्य प्राणी अपराध का पी ओ आर आरोपी के विरूद्ध दर्ज किया था। बी.आर. सिरसांम (अ.सा. 03) ने भी बताया कि, उन्हें बीटगार्ड गजेन्द्र सिह ने फोन करके सूचित किया था कि पी डब्लू डी रोड के किनारे देवगांव मे एक सीमेंट की बोरी मे अधमारी एवं जिंदा कुल 06 वन्य प्राणी गोह मोटरसाइकिल मे रखे हुए मिला है, तब उन्होंने रेंज असिस्टेंट परिक्षेत्र सहायक जिन्हें तत्काल मौके पर भेजा गया था।

14. एल पी पटेल (अ.सा. 01) डिप्टी रेंजर के कथन से भी स्पष्ट होता है कि

22-12-2017
श्रीमती निशा विश्वकर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

उन्हें गजेन्द्र सिंह वनरक्षक के द्वारा आर एफ 113 के सामने सुकल की पट्टी में जंगल से पकडी हुई गोह 06 वन्य प्राणी के पकडे जाने की सूचना फोन पर प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुचे। 06 वन्य प्राणी गोह को पकडा गया था, जिसमें 03 नग गोह मृत अवस्था में एवं 03 गोह जीवित अवस्था में थी, जिनकी जप्ती वनरक्षक के द्वारा उनकी उपस्थिति में बनाई गई थी तथा जप्ती का पंचनामा प्र.पी. 03 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गोह वन्य प्राणी/मॉनीटर लिजार्ड को जंगल मे छोडने की न्यायालय की अनुमति प्राप्त की थी। वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जीवित गोह का परीक्षण प्रभारी अधिकारी वन्य जीव सेल जबलपुर से कराया गया था और जीवित गोह को वन परिक्षेत्र अधिकारी की उपस्थिति में डुमना रेस्क्यू सेंटर जबलपुर में छोडा गया था। जिसका समर्थन वन परिक्षेत्र अधिकारी बी.आर. सिरसाम (अ.सा. 03) के द्वारा भी किया गया कि रेंज असिस्टेंट परिक्षेत्र सहायक जिन्हें मौके पर तत्काल भेजा गया था। उनके समक्ष वनरक्षक द्वारा वन्य प्राणी गोह मोटरसाइकिल आदि की जप्ती बनाकर वन अपराध दर्ज किया था।

15. साक्षी बी.आर. सिरसाम (अ.सा. 03) ने अपने कथन मे यह भी बताया कि न्यायालय मे एक आवेदन देकर जीवित वन्य प्राणी गोह को जंगल मे छोडने हेतु अनुमति प्राप्त की गई थी एवं मृत तीन वन्य प्राणी गोह के शवपरीक्षण कराने हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी को आवेदन भेजा गया था। उनके द्वारा जीवित तीन वन्य प्राणी गोह का स्वास्थ्य परीक्षण एवं तीन वन्य प्राणी गोह जो मृत थी, उनके शव परीक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी वन्य जीव प्रकोष्ठ जबलपुर को भेजा गया था, पत्र क्र. 278 दिनांक 08.07.10 है, जो उनके द्वारा लेख किया गया था जिसे प्र.पी. 18 में लेख किया गया। जिंदा वन्य प्राणी गोह को परीक्षण उपरांत उनकी उपस्थिति मे जबलपुर दुमना स्थित रेस्क्यू सेंटर मे छोडा गया था जिसका पंचनामा वनरक्षक के द्वारा बनाया गया था। पंचनामा प्र पी 14 है तथा मृत हो चुकी गोहों का शव परीक्षण के उपरांत डुमना नेचर पार्क में जलाया गया था। शव जलाने का पंचनामा प्र.पी. 15 है।

16. उक्त साक्षियों के कथन एवं आरोप पूर्व, आरोप पश्चात वन रक्षक गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02) एल.पी. पटेल (अ.सा. 01) के कूट परीक्षण मे आई साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 07.07.10 को आरक्षित वन क्षेत्र से पकडी गई 06 नग गोह प्राणी की जप्ती हुई थी।

17. अब यह विचारणीय है कि क्या उक्त गोह प्राणी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के भाग दो के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वन्य पशु है ? इस संबंध में साक्षी एल पी पटेल (अ.सा. 01) ने आरोप पूर्व साक्ष्य के कंडिका 05 में कथन किया कि उक्त वन्य प्राणी गोह अनुसूची 1 के भाग दो में वर्णित है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, कि साक्षी बी आर सिरसाम (अ.सा. 03) ने कूट परीक्षण के चरण 03 में भी यह स्पष्ट नही किया कि गोह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 01 का प्राणी है। साक्षी बी. आर. सिरसाम (अ.सा. 03) ने अपनी साक्ष्य के चरण मे बचाव पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव को गलत बताया कि गोह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची भाग 01 के प्राणी नहीं हैं।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्षी क्र. 03 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 मे यह स्वीकार किया कि प्र.पी. 19 के

22.12.2017
श्रीमती निशा तिवारी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

दस्तावेज के कॉलम नंबर 05 पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 9, 39, 51 लिखा गया है। प्र.पी. 19 पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का उल्लेख नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय के समक्ष जो अभियोग पत्र पेश किया गया है वह जलाऊ लकडी के संबंध मे प्रस्तुत किया गया है न कि वन्य प्राणी अधिनियम के संबंध मे पेश किया गया है।

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण का अवलोकन किया गया। समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि 6 नग गोह जो कि वन्य प्राणी है, जिसके संबंध में धारा 9, 39, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पी.ओ.आर.प्र.पी. 13 का पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 के दण्डनीय अपराध के अंतर्गत संज्ञान लिया जाकर अपराध पंजीबद्व किया गया है। अतः प्र.पी. 19 में किया गया उल्लेख "भारतीय वन अधिनियम" टंकण त्रुटि परिलक्षित होती है। मात्र टंकण त्रुटि का लाभ अभियुक्त को प्रदान नही किया जा सकता।

20. मध्य भारत के प्रमुख स्तनधारी सरीसृप में पाए जाने वाले प्राणी में गोह प्रजाति के प्राणी का भी उल्लेख है। भारत में गोह की चार प्रजातियां सामान्य गोह, जलीय गोह, पीली गोह तथा रेगिस्तान गोह पाई जाती है, जिनका उल्लेख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 01 के भाग दो में 2[1. Agra Monitor Lizard (Vranus griseus (Dudin)] 1[1-c. Barred, Oval, or yellow Monitor Lizard (Varanus fluvescens)] 10. Large Bengal Monitor Lizard (Varanus bengalensis) 3[17-A. Water Lizard (Varanus salvator)] का उल्लेख है।

21. प्रकरण मे जप्त गोह के चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन संलग्न दस्तावेज प्र.पी. 16 में भी पशु चिकित्सा सहायक शल्य प्रभारी, पशु चिकित्सालय कटनी, जिला कटनी म.प्र. के द्वारा उल्लेख किया कि सरीसृप (रेप लाइंस) वन्य जीव विशेषज्ञ स्तर के परीक्षण के कार्य हैं। अतः उनके परीक्षण हेतु वन्य जीव सेल पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर ले जाने की सलाह दी गई।

22. प्र.पी. 18 में पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर ऑफ इंचार्ज के द्वारा उल्लेख किया गया कि Total no. -(6),(3) live lizards - Examined on 08-07-10 at 09:30 pm and advised to release immidiately in their natural habitat. (3) Carcasses of lizards - postmartem conducted and carcasses returned along with all the organs. जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त जप्तशुदा गोह प्राणी वन्य जीव हैं, जीवित गोह 03 वन्य प्राणी जिन्हें तत्काल प्राकृतिक रूप में रहने के लिए छोडे जाने की सलाह दी गई एवं 03 मृत गोह प्राणी के शव परीक्षण उपरांत विधिवत कार्यवाही किए जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र रीठी की ओर सौंपे जाने पर प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साक्षी गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02) के द्वारा शव परीक्षण उपरांत तीन नग मृत गोह प्राणी प्राप्त किए। दस्तावेज प्र.पी. 15 से यह भी स्पष्ट है, कि दिनांक 09.07.10 को जप्त वन्य प्राणी गोह का शव परीक्षण वन्य प्राणी फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केन्द्र पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मे पदस्थ चिकित्सक श्री ए. बी. श्रीवास्तव के द्वारा शव परीक्षण उपरांत डुमना नेचर रिजर्व पार्क में शव को जलाया गया, शव के समस्त अवयव जलकर नष्ट होने तक उपस्थित रहे इस संबंध का पंचनामा बनाए जाने की पुष्टि साक्षी

22.12.2017

श्रीमती निशा तिश्तकर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साक्षी गजेन्द्र (अ.सा. 02) के कथन से होती है। अतः उक्त साक्ष्य की समग्र विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत समय जप्त 06 नग गोह प्राणी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग दो के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वन्य पशु हैं।

23. अब यह विचारणीय है. कि क्या उक्त वन्य पशु प्रश्नगत समय आरोपी के आधिपत्य से जप्त किए गए ? इस बिंदू पर प्रमुख साक्षी गजेन्द्र सिह (अ.सा. 02) ने कहा कि वर्ष 2010 में वन परिक्षेत्र रीठी के देवगांव बीट मे वनरक्षक के पद पर पदस्थ थे। आरोपी छलिया उर्फ सुदामा को उन्होंने जंगल गस्ती से लौट रहे थे तो देखा कि पी.डब्लू.डी रोड से लगे जंगल के किनारे पेड के नीचे आराम कर रहा था और मोटरसाइकिल पर एक बोरी लटकी थी, उसने उससे कहा कि क्या कर रहे हो, बोरे मे देखकर शंका हो रही थी। आरोपी ने कहा कि इसमे खाने का सामान है उसी समय जरा सी देर मे बोरी मे हलचल हुई तो उसने हाजिर अदालत आरोपी से कहा कि बोरी खोलो, उसी समय उसके पास एक आदमी और आ गया। आरोपी से उसके सामने बोरी खुलवाया तो देखा कि उसमे तीन अधमरी जीवित वन्य प्राणी एवं 03 नग मृत वन्य प्राणी गोह थी। आरोप पूर्व, आरोप पश्चात दोनो कूट परीक्षण हुआ और इस साक्षी ने कूट परीक्षण के चरण क. 04 में कथन किया कि जब वहां पहुंचा था, सुदामा पेड के नीचे चबूतरे पर लेटा था। उसके पहुंचने और पूछने पर उसने बताया कि गाडी उसकी है। उक्त बोरी गाडी मे टंगी हुई थी। बोरी को बांधकर गाडी के पीछे लटका दिया था। उसके पूछने पर बोरी मे क्या है तो उसने बोरी मे खाने का सामान बताया था। बोरी मे हलचल होने पर उसके द्वारा कहा गया था कि बोरी खोलकर दिखाओ तब उसने बोरी खोली थी।

24. इस साक्षी ने चरण 09 में स्वीकार किया कि प्र.पी. 13 पी.ओ.आर के कॉलम नं. 05 में मोटरसाइकिल हीरो होण्डा केवल लिखा हुआ है उस पर कोई मोटरसाइकिल का कमांक नहीं लिखा हुआ है। यह भी स्वीकार किया कि गाडी के कागजात के संबंध मे उक्त कॉलम मे लेख नहीं है, किंतु जप्तीनामा प्र.पी. 11 में हीरोहोण्डा स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल एम पी 21/एम–0148 घटना दिनांक 07.07.10 को जप्त किए जाने का उल्लेख है।

25. साक्षी शालिगराम (अ.सा. 05) ने भी घटना के संबंध मे कथन किया है कि आरोपी सुदामा को बोरी मे जो गोह भर रखी थी जहां पर पकडी गई थी वहां जप्ती की कार्यवाही हुई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 के ई से ई स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। सुदामा ने भी हस्ताक्षर किए थे। सुदामा ने अपने बयान मे बताया था कि वह गोह निकालकर बेचकर अपना पेट पालता है। सुदामा के बयान प्र.पी. 01 के द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डिप्टी पटेल साहब ने उसके बयान प्र.पी. 07 लिए थे जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बोरी मे 5–6 गोह थी। एक गोह मरी थी और 4–5 जिंदा थी। सभी गोह लगभग एक हांथ लंबी और मोटी थी।

26. इस साक्षी का कूट परीक्षण हुआ। चरण दो में कथन किया कि डिप्टी साहब ने उसके सामने जो लिखा था उस पर हस्ताक्षर किए थे। प्र.पी. 01 का दस्तावेज उसे डिप्टी साहब ने पढकर सुनाया था। डिप्टी साहब ने पढकर बताया था कि आरोपी से गोह, बोरी और सब्बल जप्त किया गया था, इसके अलावा और कुछ नही बताया

22.12.2017

श्रीमती निशा विश्वकर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

था। आरोपी को उसके सामने डिप्टी साहब ने रीठी मे गिरफ्तार किया था। इस साक्षी के समक्ष लेखबद्ध प्र.पी. 01 का दस्तावेज आरोपी सुदामा उर्फ छलिया के द्वारा परिक्षेत्र सहायक के समक्ष रिकॉर्ड कराए गए कथन हैं। प्र.पी. 01 में आरोपी के द्वारा रिकॉर्ड कराया गया कि उससे बोरी जो मोटरसाइकिल मे बंधी हुई थी खुलवाया तो उसमे उसके द्वारा पकडी गई गोह रखी थी, तब वन रक्षक ने अन्य राहगीरों को मौके पर बुलाया व फोन कर परिक्षेत्र सहायक रीठी को बुलाया व मौके की समस्त कार्यवाही की गई। पंचो के सामने उससे पूछा गया तब उसने बताया कि गोह आसपास के जंगल से पकडा है। 06 नग गोह बांस वृक्षारोपण क्षेत्र से पकडी है।

27. साक्षी भरत (अ.सा. 04) पक्षद्रोही है। उसने स्पष्ट किया कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना के बारे मे उसे कोई जानकारी नही है। उसके सामने वन विभाग वालो ने आरोपी से कोई जप्ती नही की थी। वन विभाग वालों ने कोई बयान नही लिया था।

28. प्रमुख और महत्वपूर्ण साक्षी गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02) एवं एल. पी. पटेल (अ.सा. 01) की साक्ष्य के आधार पर इस बात का निष्कर्ष निकाला जाना है कि क्या साक्षीगण, जो वन कर्मचारी अधिकारी हैं, की परिसाक्ष्य को देखते हुए धारा–51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का अपराध स्थापित है अथवा नहीं ? साक्षी गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02), एल पटेल (अ.सा. 01) बी.आर. सिरसाम (अ.सा. 03) शालिगराम (अ.सा. 05) की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत समय आरोपी के आधिपत्य से 06 नग गोह (मोनीटर लिजार्ड) जप्त होने का तथ्य प्रमाणित है। इस संबंध में अभियुक्त पक्ष ने कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं की, जो चुनौती एवं बचाव लिया गया है वह पाश्चात्य विचार की होना ठहराई गई है तथा इसी कारण से उस पर विश्वास नही किया गया है।

29. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्याय दृष्टांत **एम पी व्हीकली नोट 1991 (1)** प्रस्तुत कर निर्भरता व्यक्त की गई है कि साक्षियों के कथनों मे महत्वपूर्ण फर्क है। अतः आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

30. प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साक्षी गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02) एल. पी. पटेल (अ.सा. 01), बी. आर. सिरसाम (अ.सा. 03), शालिगराम (अ.सा. 05) की साक्ष्य मे ऐसा कुछ नहीं है जो यह संकेत करे कि वनरक्षक गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02) ने वन अधिकारी श्री एल पी पटेल (अ.सा. 01) के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध कोई मिथ्या कार्यवाही की थी। साक्षियो की साक्ष्य विश्वसनीय है और सत्यनिष्ठ प्रतीत होती है और इन साक्षियों के द्वारा अभियुक्त को मिथ्या फंसाए जाने का कोई कारण नहीं है। अभियुक्त ने भी अपनी प्रतिरक्षा में वन रक्षक एवं वन अधिकारियों से अपनी कोई रंजिश इत्यादि के विषय मे भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। साक्षियों के कथनों मे जो विलोप, खंडन, विरोधाभाष आए हैं, वे महत्वपूर्ण नही है और उनकी साक्ष्य विश्वसनीय है। आरोपी के द्वारा प्रस्तुत उक्त माननीय न्याय दृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने से लाभ प्रदान नही किया जा रहा है।

31. अभियुक्त के आधिपत्य से वन अधिकारी श्री एल. पी. पटेल (अ.सा. 01) के समक्ष वनकर्मचारी गजेन्द्र सिंह (अ.सा. 02) के द्वारा जप्तीनामा प्र.पी. 11 की कार्यवाही करते हुए जिंदा अधमरी अवस्था में 03 नग एवं मृत 03 नग कुल 06 नग गोह जप्त की गई। जप्तशुदा गोह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 1972 की अनुसूची 1 के

22-12-2017

श्रीमती [illegible]
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

भाग दो के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वन्य पशु है। अभियुक्त के द्वारा 06 नग गोह जो अनुसूची 1 के भाग दो के विनिर्दिष्ट प्राणी है, को अवैध रूप से पकडकर और बोरी मे भरकर अवैध रूप से शिकार किया जाना प्रमाणित है।

32. अतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य की विवेचना से यह स्थापित है, कि अभियुक्त के द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र रीठी के कक्ष क. 113 व उसके आसपास के आरक्षित क्षेत्र से 06 नग गोह को जो अनुसूची 01 के भाग दो का प्राणी है, पकडकर और बोरी मे भरकर अवैध रूप से शिकार करके धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का दण्डनीय अपराध कारित किया है। अतः आरोपी को धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के परंतुक के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्धि पर परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया। अपराध की परिस्थिति, प्रकृति को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः दोषसिद्धी पर दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती निशा विश्वकर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी,जिला कटनी

<u>पश्चात:–</u>

33. अभियुक्त सुदामा उर्फ छलिया मांझी(वर्मन) को धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अपराध के आरोप की दोषसिद्धि पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय पांडे के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का प्रथम अपराध है। आरोपी गरीब है। प्रकरण वर्ष 2010 से लंबित है। प्रत्येक पेशी में उपस्थित होकर मामले में सहयोग किया हैं। अभियुक्त को न्यूनतम अर्थदंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।

34. प्रकरण का अवलोकन किया गया। निःसंदेह अभिलेख पर अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो ऐसा अभिलेख से दर्शित नहीं होता एवं प्रकरण वर्ष 2010 से लंबित है। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त नियमित रूप से उपस्थित होता रहा हैं। प्रकरण की उक्त परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए **आरोपी सुदामा उर्फ छलिया मांझी(वर्मन) को धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अपराध की दोषसिद्धि पर आरोपी को 03 वर्ष 06 माह (तीन वर्ष छः माह) के कठोर कारावास एवं 10,000/– रूपए (दस हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को तीन माह का कठोर कारावास प्रथक से भुगताया जावे।**

35. अभियुक्त दिनांक 08.07.10. से दिनांक 28.08.10 तक निरोध में होने से अभियुक्त के द्वारा निरोध मे बिताई गई उक्त अवधि उसे दी गई सजा में समायोजित किए जाने योग्य होगी।

22.12.2012

श्रीमती निशा विश्वकर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)